भीम
BhIM
भारत इंटीग्रेशन मिशन

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.11(14)नविवि / टाउनशिप पॉलिसी / 2024—10169 जयपुर, दिनांकः यथा हस्ताक्षरित

—:आदेशः—

विषयः— कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण अथवा एकल पट्टा जारी किये जाने से पूर्व भूमि पर किये गये निर्माण के संबंध में।

नगरीय क्षेत्र में धारा 90(क) की कार्यवाही से पूर्व निर्माण होने की स्थिति में धारा 90(क) की कार्यवाही हेतु सभी निकायों में एकरूपता रखने हेतु विभागीय आदेश दिनांक 03.07.2020 जारी किये गये थे। विभाग द्वारा दिनांक 12.05.2025 को मॉडल राजस्थान भवन विनियम—2025 लागू कर दिये गये है, जिसके विनियम 17.6 में भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त किये बिना भवन निर्मित होने पर तदानुसार कार्यवाही किये जाने के प्रावधान है।

अतः मॉडल राजस्थान भवन विनियम—2025 के अनुसार प्रस्तावित भूमि पर भवन निर्माण होने पर निम्नानुसार कार्यवाही की जावेः—

1. कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण किये जाने से पूर्व भूमि पर भवन निर्माण होने पर भवन विनियम—2025 के विनियम 17.6 की पालना सुनिश्चित किये जाने शर्त पर धारा 90 (क) के तहत रूपान्तरण की कार्यवाही की जावें।
2. एकल पट्टा जारी किये जाने से पूर्व भवन निर्माण होने पर आवेदक से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त किया जावें कि भवन विनियम—2025 के विनियम 17.6 के अनुसार भवन विनियमों के मापदण्डों के अनुरूप निर्माण (जो स्वीकृत योग्य है) पर तालिका 24 के अनुसार शास्ती जमा करवा दी जावेंगी एवं भवन विनियमों के विपरीत किये गये निर्माण को उनके द्वारा हटाया जाकर भवन मानचित्र अनुमोदन करवाया जावेगा।
3. भवन मानचित्र स्वीकृति जारी किये जाने से पूर्व भवन विनियम—2025 के विनियम 17.6 की अनुपालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जावें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Signature Not Verified
(रवि वि...)
Digitally signed by Ravi Vijay
शासन उप सचिव—...
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2026.03.28 19:18:31 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21300801

प्रतिलिपिः—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को निर्देशित किये जाने हेतु।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर), जयपुर।
9. शासन उप सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
10. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर।
11. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त——————————————————————।
12. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
13. प्रोग्रामर, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
14. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव— प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2026.03.28 19:18:31 IST
Reason: Approved